फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 125/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/173) **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रैशर बनाम तहसीलदार रावतभाटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री डी.एस.शक्तावत - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रेशर स्थित ग्राम थमलाव पोस्ट अणुशक्ति रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्रो. विरेन्द्र टांक पुत्र श्री सीताराम टाक, निवासी 282, नया बाजार कॉलोनी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/12-3(47)07/757 दिनांक 11.07.2023** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 02.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/12-3(47)07/757 दिनांक 11.07.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा क्रेशर उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु ग्राम थमलाव तहसील रावतभाटा में 0.65 हैक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 2 राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन) नियम, 1959 के तहत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रावधानोनुरूप कार्यवाही करते हुए एवं संबंधित विभागों की अनुशंषा के आधार पर ग्राम थमलाव तहसील रावतभाटा में स्थित चारागाह संख्या 78 मी. रकबा 124.37 है. में से 0.65 हैक्टेयर भूमि को नियमानुसार चारागाह से खारिज कर उक्त भूमि आवंटन आदेश क्रमांक एफ.( )भूमि उद्योग/12629-34 दिनांक 29.01.2008 अपीलार्थी के पक्ष में जारी करते हुए लघु उद्योग गिट्टी क्रेशर की स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटन कर दी। • तत्पश्चात उक्त आवंटित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के पत्रांक राजस्व/646 दिनांक 24.10.2019 व राजस्व/1959 दिनांक 22.07.2020 के कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में उक्त आवंटन को निरस्त करते हुए आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(47)07/757 दिनांक 11.07.2023 प्रसारित किया। उक्त आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(47)07/757 दिनांक 11.07.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 31.07.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि वर्ष 2006 में अपीलार्थी द्वारा क्रेशर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तुत	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 125/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/173) **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रैशर बनाम तहसीलदार रावतभाटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवेदन पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा संबंधित तहसीलदार से विहिप प्रारूप में जांच एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किये, जिस संबंधित तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 14.05.2007, 19.05.2007, ग्राम पंचायत की एनओसी दिनांक 21.02.2007 मय समस्त आवश्यक दस्तावेज मय अपनी अनुशंषा दिनांक 30.05.2007 से उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा समक्ष प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा वांछित डिमाण्ड राशि राजकीय कोष में जमा कराई गई। तत्पश्चात आवेदित भूमि को विधिवत आवंटन आदेश अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 29.01.2008 को जारी होकर क्रेशर उद्योग हेतु 99 वर्ष की लीज अपीलार्थी के पक्ष में जारी की गई। कब्जा सिपुर्द किया गया। लीज डीड का पंजीयन किया गया। तद्नुदसार अपीलार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया गया। उद्योग विभाग द्वारा आवश्यक अनुज्ञा जारी की गई। पर्यावरण विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई और समक्ष विधिक प्रक्रिया उपरान्त अपीलार्थी द्वारा उद्योग स्थापित करते हुए सभी आवंटन शर्तो की पालना की गई। उक्त आवंटन आदेश के 16 वर्ष उपरान्त महज एक राजनैतिक शिकायत के आधार पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी के पक्ष मे जारी आवंटन आदेश को अपने आदेश दिनांक 11.07.2023 से मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं के आधार पर निरस्त कर दिया। प्रथम आधार आवंटित भूमि एनपीसीआईएल की 7-8 ईकाई से 5 कि.मी. से कम दुरी पर स्थित होने के कारण ऐसे क्षेत्र में केवल प्राकृतिक ग्रोथ ही अनुमत है व यहां पर उद्योग हेतु भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। द्वितीय आधार आवंटित भूमि चारागाह भूमि थी तथा वक्त आवंटन चारागाह भूमि की नियमानुसार क्षतिपूति नहीं की गई। तृतीय आधार आवंटन के उपरान्त आवंटी द्वारा आवंटित भूमि के 33 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त आधारों के खण्डन में अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का मूल आवंटन आदेश वर्ष 2008 है, तत्समय् एनपीसीआईएल की युनिट 7 व 8 अवस्थित नहीं थी, जिसकी पुष्टि तहसीलदार रावतभाटा के पत्रांक राजस्व/07/262 दिनांक 30.05.2007 से होती है, जिसमें आवेदित भूमि का प्रमुख संयत्र से 7 किलामीटर व रावतभाटा से 17 कि.मी. दुर होना अंकित है। उक्त युनिट संख्या 7 व 8 आवंटन की कई वर्षो उपरान्त स्थापित की गई जो मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2020 से स्पष्ट है, उक्त मौका रिपोर्ट में भी अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के बिन्दु के खण्डन में अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पश्चातवर्ती स्थापित युनिट के आधार पर अपीलार्थी के आवंटन को खारिज करने में कानूनी भूल की है। द्वितीय आधार में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति नहीं किये जाने का हवाला दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं इस बिन्दु पर स्वयं जांच उपरान्त अपने निर्णय दिनांक 16.01.2008 से उक्त भूमि को चारागाह से उद्योग स्थापित करने हेतु सेटअपार्ट किया जिसका प्रमुख आधार राजस्व विभाग एवं पंचायत द्वारा दी गई अनुशंषा है। अपने स्वयं के आदेश दिनांक 16.01.2008 के विरूद्ध जाकर जिला कलक्टर द्वारा एक अविधिक अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिस पर विबन्धन का सिद्वान्त भी लागु होता है। तृतीय आधार 33प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण नहीं किया जाना बताया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2020 में 33 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर पक्षारोपण किये जाने के तथ्य अंकित किये गये है। उक्त तीनों आधार निराधार है, पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट, आवंटन के समय प्राप्त अनुशंषाओं एवं मौका रिपोर्ट 09.07.2020 के विपरित है। उक्त प्रकरण में लोकायुक्त स्तर पर भी जांच होकर लोकायुक्त द्वारा आवंटन को उचित बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन आदेश में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना नियमानुसार की गई है, इस संबंध में विस्तृत जवाब भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर जिला कलक्टर द्वारा कोई विचार विश्लेषण नहीं किया गया। जब जिला कलक्टर द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ की गई तब अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जोधपुर मे रिट याचिका संख्या 7822/2021 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की प्रक्रिया को उक्त याचिका के अधीन रखा। जब किसी प्रकरण में उच्च न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 125/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/173) **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रैशर बनाम तहसीलदार रावतभाटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तो बादबाहुल्यता को रोकने हेतु निम्नतर न्यायालयों का अपने प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए परन्तु जिला कलक्टर द्वारा यह नहीं किया गया और अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया। उक्त आंवटन के निरस्ती आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अन्य रिट याचिका संख्या 11429/2023 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर समक्ष पेश की गई। चुंकि उद्योग आंवटन की समस्त प्रक्रिया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत बने उद्योग आवंटन नियम 1959 के तहत सम्पादित होने से इस पर धारा-75 एलआरट के प्रावधान लागु होते है। इस पर अपीलार्थी द्वारा दोनों रिट याचिकाएं अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ माननीय न्यायालय से विड्रो कर आप न्यायालय समक्ष अपील पेश की गई और अपील के साथ संतोषप्रद कारण अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अपीलार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा इस भूमि से लगती और ग्राम पंचायत में अवस्थित भूमियों के संबंध में आवंटन आदेश जारी किये जा रहे है और इन्ही स्थितियों के संबंध में अपीलार्थी का आवंटन आदेश निरस्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन प्रस्तुत किये कि अपीलार्थी के वर्ष 2008 में किये गये आवंटन को 16 वर्ष उपरान्त 2023 में बिना उचित आधार, विबन्धन के सिद्वान्त के विपरित एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट से परे जाकर निरस्त किया जाना नितांत अविधिक होकर काबिल निरस्त के है, ऐसे में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावें और अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.01.2008 यथावत रखा जावें। अपने कथनों के सर्मथन में अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. सिविल अपील संख्या 5539/2012 सुप्रीम कोर्ट 2. 2022 सुप्रीम (राज) 1352 3. 2017 सुप्रीम 552, 2014 सुप्रीम (एससी) 722 4. 1998 सुप्रीम (राज) 708 **प्रत्यर्थी की और से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित फरमाये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होकर जांच एवं विश्लेषण उपरान्त पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।** **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को सुलभ न्याय के सिद्वान्त के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा क्रेशर उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु ग्राम थमलाव तहसील रावतभाटा में 0.65 हैक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 2 राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन) नियम, 1959 के तहत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रावधानोनुरूप कार्यवाही करते हुए एवं संबंधित विभागों की अनुशंषा के आधार पर ग्राम थमलाव तहसील रावतभाटा में स्थित चारागाह संख्या 78 मी. रकबा 124.37 है. में से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 125/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/173) **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रैशर बनाम तहसीलदार रावतभाटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	0.65 हैक्टेयर भूमि को नियमानुसार चारागाह से खारिज कर उक्त भूमि आवंटन आदेश क्रमांक एफ.( )भूमि उद्योग/12629-34 दिनांक 29.01.2008 अपीलार्थी के पक्ष में जारी करते हुए लघु उद्योग गिट्टी क्रेशर की स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटन कर दी। तत्पश्चात उक्त आवंटित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के पत्रांक राजस्व/646 दिनांक 24.10.2019 व राजस्व/1959 दिनांक 22.07.2020 के कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में उक्त आवंटन को निरस्त करते हुए आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(47)07/757 दिनांक 11.07.2023 प्रसारित किया। उक्त आदेश दिनांक 11.07.2023 से व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का अवगत कराया गया कि अपीलार्थी श्री साई स्टोन क्रेशर को जारी आवंटन आदेश दिनांक 29.01.2008 में वर्णित शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, जिससे श्री साई स्टोन क्रेशर की लीज निरस्त करने की अनुशंषा की जाती है। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पुनः आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने से जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को पत्र दिनांक 09.01.2020 से लिखा गया। उक्त अनुशंषा पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी श्री साई स्टोन क्रेशर को नोटिस जारी कर प्रत्युत्तर पेश करने का अवसर दिया गया और अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपने प्रत्युत्तर पेश किये गये। उक्त प्रत्युत्तर परीक्षणोंपरांत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 10.06.2021 को कमेटी का गठन किया गया जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपवन संरक्षक, अधीक्षण अभियंता, एवीएनएल, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण मंडल, चित्तौड़गढ़ एवं खनि अभियन्ता, कोटा को सम्मिलित किया गया। उक्त जांच कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.10.2021 जिला कलक्टर समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है- 1. उक्त क्रेशर की एनपीसीआईएल की 7-8 ईकाइ से 5 किमी से कम दूरी पर स्थित है। एनपीसीआईएल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त के 1.5 किमी के दायरे में एक्सक्लुजन जौन होता है तथा 1.6 किमी से 5 किमी तक का क्षेत्र स्टरलाईजेशन क्षेत्र होता है, जिसमें केवल प्राकृतिक ग्रोथ ही की जा सकती है। 2. श्री साई स्टोन क्रेशर थमलाव के परिसर के पास से ही 132 केवी लाई लगभग 20-20 मीटर दूरी से गुजर रही है। 3. उक्त क्रेशर हेतु भूमि आवंटन किये जाने से पूर्व नियमानुसार चारागाह की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। 4. उद्योग के 33 प्रति भू-भाग में वृक्षारोपण बाबत नीम यूकेलिपटस आदि किस्मों के 5-7 वृक्ष लगे हुए तथा वन विभाग द्वारा वर्णित किया गया कि यह कुल भू-भाग के 33 प्रतिशत क्षेत्र में आच्छदित नहीं है। 5. खनन पट्टे के संबंध में मांग कायम की गई है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवंटी श्री साई क्रेशर स्टोन द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्रावधित है कि किसी भी चारागाह भूमि में से आवंटन से पूर्व उसके ऐवज में उतनी ही भूमि का उसी ग्राम में क्षतिपूर्ति के बदले चारागाह भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है, परन्तु इस प्रकरण में वक्त आवंटन चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति नहीं की गई, ऐसें श्री साई स्टोन क्रेशर को किया गया आवंटन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय था, जिस पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा विधिसम्मत आदेश प्रदान किया गया है। लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त कमेटी की रिपोर्ट पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जिस पर अपीलार्थी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 125/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/173) **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रैशर बनाम तहसीलदार रावतभाटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपना पक्ष रखा गया, जिस पर विचार विश्लेषण उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिस पर इस निर्णय में किये गये विवेचन के आधार पर कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उल्लेखनीय है कि आवंटित भूमि राजस्थान परमाणुघर की ईकाई संख्या 7-8 से 4570 मीटर की दूरी पर स्थित है। एनपीसीआईएल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त के 1.5 किमी के दायरे में एक्सक्लुजन जौन होता है तथा 1.6 किमी से 5 किमी तक का क्षेत्र स्टरलाईजेशन क्षेत्र होता है, जिसमें केवल प्राकृतिक ग्रोथ ही की जा सकती है। अपीलार्थी को जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी, वह प्राकृतिक ग्रोथ की श्रेणी में नहीं आती है।

उक्त कमेटी की रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक राय प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा कमेटी की अनुशंषा को सही बताते हुए आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना, वक्त आवंटन चारागाह की क्षतिपूर्ति नहीं किया जाना बता कर आवंटन निरस्त करने की अनुशंषा की गई।

अपनी बहस में अपीलार्थी द्वारा विभिन्न विभाग की विभिन्न रिपोर्टस् का हवाला दिया जो वक्त आवंटन की थी और कमेटी की रिपोर्ट से पूर्व जारी की गई। उक्त कमेटी में वह सभी विभाग सम्मिलित किये गये जिन्होनें पूर्व में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अपीलार्थी के समस्त उजर में पारदर्शिता के दृष्टिगत इन सभी विभागों की कमेटी बनाई गई जिन्होनें अपनी वर्तमान रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना बताया गया है, उक्त पश्चातवर्ती रिपोर्ट एवं वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पर संशय किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है और कमेटी की वर्तमान रिपोर्ट में आलोक में पूर्ववर्ती रिपोर्ट गौण है।

प्रकरण में तथ्यों में पारदर्शिता लाने हेतु इस न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार, रावतभाटा से एनपीसीआईएल द्वारा स्थापित इकाई 7-8 से 1.5 किमी एवं 5 किमी की परिधी में संचालित क्रेशर की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 27.07.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार द्वारा एनपीसीआईएल रावतभाटा से रिपोर्ट प्राप्त की गई और एनपीसीआईएल द्वारा तहसीलदार को रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 को पेश की गई जिसमें उनके द्वारा दो क्रेशर संचालित है, जिसमें एक क्रेशर वर्तमान में संचालित एवं अंसचालित होना बताया गया। उक्त रिपोर्ट से यह प्रकट होता है किएनपीसीआईएल द्वारा स्थापित इकाई 7-8 से 1.5 किमी किमी एवं 5 किमी की परिधी में दो क्रेशर संचालित है, जिसमें एक क्रेशर वर्तमान में संचालित एवं अंसचालित है। उक्त रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि एक्सक्लुजन जोन में जो क्रेशर संचालित है, वह एनपीसीआईएल को सप्लाई हेतु बनाया गया है, सुरक्षा हेतु क्या कदम निर्धारित किये गये है। जो क्रेशर संचालित नहीं है, उसके क्या कारण रहे है। ऐसें में इस अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष प्रतिपादित किया जाना औचित्यहीन है।

यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित इस तथ्य का पुरजोर समर्थन करते है कि **राजस्थान परमाणु बिजलीघर राष्ट्रीय स्तर की अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संयंत्र है तथा उक्त परमाणु बिजलीघर की आपातकालीन परिस्थितियों में व्यापक राष्ट्रहित एवं जनहित में मानव जीवन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए ही परमाणु बिजलीघर की 5 किमी की परिधि को स्टरलाईजेशन/प्राकृतिक ग्रोथ जोन घोषित किया गया है और प्रश्नगत भूमि वर्तमान में प्राकृतिक ग्रोथ जोन/ स्टरलाईजेशन जोन में स्थित है। यह न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में पाता है कि चाहे पूर्व में यह भूमि एनपीसीआईएल की युनिट से 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित थी, परन्तु वर्तमान में यह प्राकृतिक ग्रोथ जोन/ स्टरलाईजेशन जोन में स्थित है। ऐसी स्थिति में आपातकालिन परिस्थितियों में होने वाली संभावित जनहानि से इन्कार नहीं किया जा सकता है, इसकी रोकथाम हेतु प्रशासनिक स्तर पर संवदेनशील कदम**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 125/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/173) **मैसर्स श्री साई स्टोन क्रैशर बनाम तहसीलदार रावतभाटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उठाया जाना आवश्यक है। यहा आवंटन से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। प्रकरण में यह तथ्य भी न्यायालय समक्ष स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के प्रावधानों की पालना हेतु वक्त आवंटन क्षतिपूर्ति नहीं की गई हें। ऐसे में श्री साई स्टोन क्रेशन के पक्ष में पारित आंवटन आदेश दिनांक 29.01.2008 त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सभी तथ्यों की जांच उपरान्त, सभी विभागों की विस्तृत कमेटी की आवंटन निरस्ती की अनुशंषा रिपोर्ट, एनपीसीआईएल की रिपोर्ट, विधिक राय प्राप्त कर, आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने इत्यादि पर गहन परीक्षण एवं विचार विश्लेषण उपरान्त एक तार्किक निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है।** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	